

EXTRAORDINARY

भाग ।।—खण्ड ३—उप-खण्ड (j)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 4951 No. 4951

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2016/आबाढ़ 27, 1938

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938

गृह मंत्रालय विधिस्चना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 702(व),--केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2016 है
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (जक) में "बंगलादेश" शब्द के म्थान पर, "अफगानिस्तान, बंगलादेश" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25022/50/2015-एफ.1]

जी. के. द्विवेदी, संयक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक 4/5/49-एफ.1, तारीख 25 अप्रैल, 1950 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम प्रकाशन सा.का.नि. 685(अ), तारीख 7 सितंबर, 2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2016

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport (Entry into India) Rules, 1950, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Passport (Entry into India) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Passport (Entry into India) Rules, 1950, in clause (ha) of sub-rule (1) of rule 4, for the word "Bangladesh", the words "Afghanistan, Bangladesh" shall be substituted.

[F. No. 25022/50/2015-F.I]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

The principal rules were published vide number 4/5/49-F.I, dated the 25th April, 1950 and last amended vide notification number G.S.R. 685(E), dated the 7th September, 2015.

वादेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 703(वा).—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों विषयक आदेश, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के पैरा 3क में "बंगलादेश" शब्द के स्थान पर, "अफगानिस्तान, वंगलादेश" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. मं. 25022/50/2015-एफ.1]

जी, के, द्विवेदी, संयुक्त मचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र संख्यांक 9/9/46- राजनीतिक (ईडब्ल्यू), तारीख 14 फरदरी, 1948 को प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 325(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा किया गया ।

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2016

G.S.R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely:-

- 1. (1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2016.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreigners Order, 1948, in paragraph 3A, for the word "Bangladesh", the words "Afghanistan, Bangladesh" shall be substituted.

[F. No. 25022/50/2015-F. I]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide No. 9/9/46-Political (EW), dated the 14th February, 1948 and last amended vide number G.S.R. 325(E), dated the 18th March, 2016.